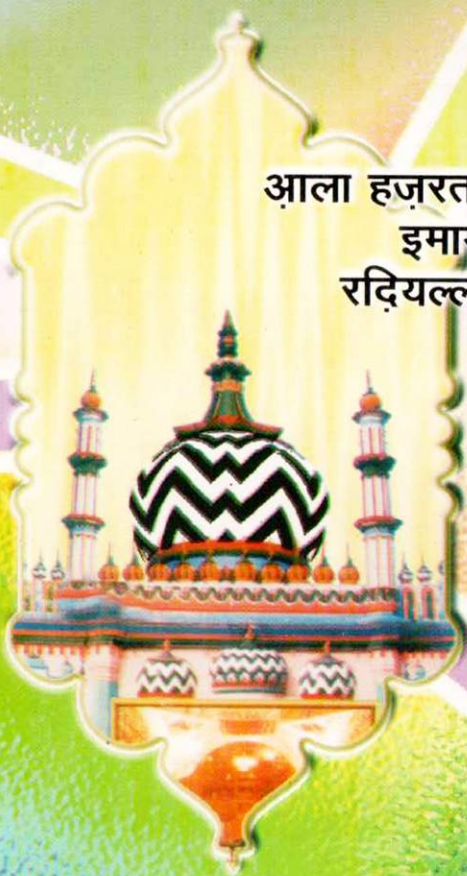


# ईरफ़ाने शरीअत

आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत  
इमाम अहमद रज़ा  
रदियल्लाहो तआला अन्हो



रज़ा एकेडमी मुंबई-3

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ

सैकड़ों जरूरी मसाइल  
का मजमुअ-ए-मुबारका

# ईस्फावे शरीअत

\* अज \*

आला हजरत

इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ

-: वफ़ैज़ :-

हुज़ूर मुफ़्तिअ अअज़म हज़रत अल्लामा शाह  
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

नाशिर : रज़ा एकेडमी

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-४०० ००३.

फोन नं.: ३७३७६८९-३७०२२९६

(जुमला हुकूक महफूज हैं)

सिलसिलए इशाअत नं. २३२

|            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| किताब      | : | ईरफ़ाने शरीअत                  |
| लेखक       | : | आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खाँ    |
| तर्जमा     | : | मुहम्मद फारूक खाँ अशरफ़ी रज़वी |
| ब एहतिमाज  | : | मौलाना नईमददीन रज़वी           |
| पहला एडिशन | : | १९९९                           |
| तादाद      | : |                                |
| ठहिया      | : |                                |
| नाशिर      | : | रज़ा एकेडमी,                   |

२६, कांबेकर स्ट्रीट, मुम्बई-४०० ००३.

आप सुन्नी है और

इमाम

अहमद रज़ा

को नहीं जानते ?

तअज्जुब

है !!!



## पेशे अलफाज

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मौलाना अशशाह अहमद रज़ा ख़ाँ साहब बरेलवी **رحمۃ اللہ علیہ** की जाते गिरामी मोहताजे बयान नहीं, अरब व अजम के अहले इल्म व फज़ल ने आप को मौजूदा सदी का मुजहिद तसलीम किया है। आप की अज़मत व शान व मरतबे का अन्दाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है के आप ने तकरीबन 72 उलूम व फ़ुनून पर तकरीबन 1300 किताबें अपनी यादगार छोड़ी हैं।

आला हज़रत की विलादत 10 शव्वाल 1272 हिजरी में बरेली में हुई आप आख़री उमर तक शरीअत व तरीक़त के मतवालों को क़ुरआन व सुन्नत के शरबत और इश्के मुस्तफ़ा के जाम भर भर कर पिलाते रहें और 25 सफ़र 1340 हिजरी बरोज़ जुम्अ को इधर मौअज़्ज़िन ने **حی علی الفلاح** की सदा दी और उधर आप अपने रब्बे कदीर के दरबार में हाज़िर हो गये।

आला हज़रत की बारगाह में हिन्दुस्तान, बरमा, अफ़ग़ानिस्तान, अफ़रीका, हेजाजे मुकद्दस और दिगर इस्लामी शहरों से सैकड़ों सवालात आते थे जिन की तअदाद एक वक़्त में कभी 400 और कभी 500 तक जा पहुँचती थी, इस बात का ज़िक्र उनके साहबज़ादे हुज़्ज़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ाँ साहब **رحمۃ اللہ علیہ** ने खूद किया है। अफ़रीका से बे शुमार सवालात आते रहते थे चुनानवे उसे एक किताब की शक़ल में शाए किया गया और उस का नाम भी “फ़तावे अफ़रीका” है।

फ़तवा नवेसी के येह फ़राइज़ बग़ैर किसी उजरत या रूपयों की लालच के सिर्फ़ अल्लाह व उसके रसूल की खुशनूदी के लिए अन्जाम दिये जाते थे। आला हज़रत एक जगह लिखते हैं—

**بھائیو! ما داسکلم علیہ من اجران اجرى الاعلى رب العالمین -**

तर्जमा :- “भाईयों मैं तुम से कोई अज़्र नहीं माँगता मेरा अज़्र तो सारे जह्नों के परवरदिगार के पास है”।

आला हज़रत के फ़तावे अरबी, फ़ारसी, उर्दू, और दिगर ज़बानों में हैं। आला हज़रत के फ़तवे दुनिया-ए-इस्लाम में क़द्द की निगाह से देखे जाते हैं।

हाफिजे कुतुबुल हराम सैय्यद इस्माईल खलील मक्की رحمته الله عليه जो के मक्का मुअज्जमा के जलीलुल कद्र आलिमे दीन व बुजुर्ग थे उनकी ख्वाहिश पर आला हजरत ने अपने चन्द अरबी फतवे रवाना फरमाए जिसे देख कर वोह हैरान रह गए, और जवाबन लिखा-----

والله اقول والحق اقول لورها (امام اعظم) البوحيفة الغمان والثر  
لا قوت عينية ولجمل مؤلفها (امام احمد رضا) من جملة الاصحاب :-

तर्जमा :- “और कसम खा कर कहता हूँ और सच कहता हूँ इन फतवों को अगर इमामे अज़म अबू हनीफा رحمته الله عليه देख लेते तो यकीनन उन की आखों को ठण्डक पहुँचती ओर वोह इसके लिखने वाले (इमाम अहमद रज़ा) को अपने शगिर्दों में शामिल कर लेते” ।

फाजिले जलील हजरत सैय्यद इस्माईल खलील मक्की رحمته الله عليه के इन अज़ीम जुमलों की सच्चाई देखना हो तो “फतावे रज़विया” का मुतालअ कर लीजिये जो आला हजरत की अज़ीम तसनिफ है और 12 जिल्दों में और हर जिल्द तकरीबन बड़े साइज़ में कम व बेश 1000 सफ़ों पर फैली हुई है । इस के अलावा आला हजरत के फतवों की और कई मशहूर किताबें हैं जैसे “अहकामे शरीअत” (तीन जिल्दें) “फतावे अफ़्रीका” “ईरफाने शरीअत” (तीन जिल्दें) और 1300 के करीब किताबें अलग हैं ।

ज़ेरे नज़र किताब “ईरफाने शरीअत” हजरत मौलाना ईरफ़ान अली कादरी रज़वी साहब رحمته الله عليه ने तरतीब दी थी । इस किताब के मुतअल्लिक खूद फरमाते हैं-----

“यह हकीर फकीर उन फतवों को जो बारगाहे रज़वी से मुख्तलीफ़ वक्तों में हासिल करता, जमा करता गया और अहले सुन्नत की ख़ैर ख्वाही की गर्ज से उनको शाए करता है” ।

“ईरफाने शरीअत” तीन हिस्सों में है जिसका पहले हिस्से का हिन्दी तर्जमा आप के हाथों में है और इन्शाह अल्लाह इस के दूसरे और तीसरे हिस्से भी जल्द ही हिन्दी में मन्ज़रे आम आएँगे ।

मौला عز وجل हम सब को तौफ़िके अमल बख़्शे ।---! आमीन !

नाचीज़ सगे रज़ा

मुहम्मद फारूक खॉ अशरफ़ी रज़वी

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**मसअला 1—** शौहर अपनी बीवी को गुस्ते मैय्यत दे सकता है या नहीं और मरने के बाद शौहर अपनी बीवी के जनाजे को हाथ लगा सकता है या नहीं ?

**जवाब :** जनाजे को हाथ लगा सकता है, कब्र में उतार सकता है उस के बदन को हाथ नहीं लगा सकता, इसी वासते गुस्ल नहीं दे सकता । **والله اعلم**

**मसअला 2—** मैय्यत के सुवम के चानों का किस कद्र वज़न होना चाहिये अगर खजूरो पर फ़तिहा दिला दी जाए तो उनका वज़न किस कद्र हो ?

**जवाब :** शरीअत में कोई वज़न मुकर्रर नहीं, इतने हो जिस में सत्तर हजार अदद पूरे हो जाए । **والله اعلم**

**मसअला 3—** अगर एक औरत को तलाक़ दी जाए तो वोह औरत तलाक़ देने से कितनी मुद्त बाद निकाह कर सकती है ?

**जवाब :** तलाक़ के बाद तीन हैज़ (माहवारी) शुरू हो कर ख़त्म हो जाएँ और हैज़ वाली न हो तो तीन महीने और हमला (पेट वाली) हो तो जब बच्चा पैदा हो जाए, अगरचे साल भर बाद या तलाक़ से एक ही मिनट बाद ।

**मसअला 4—** तहबन्द (लुंगी) का पेच खोल कर नमाज़ क्यों पढ़ते है ?

**जवाब :** रसूलुल्लाह **ﷺ** ने नमाज़ में कपड़े समेटने और घोरेसने से मना फ़रमाया है ।

**मसअला 5—** अगर तहबन्द (लुंगी) के नीचे लंगोठ बन्धा हो तो नमाज़ पढ़ना दुरूस्त होगी या नहीं ?

**जवाब :** दुरूस्त है ।

**मसअला 6—** बिजली क्या शाए (चीज) है ?

**जवाब :** अल्लाह तआला ने बादलों के चलाने पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फ़रमाया है जिस का नाम "रअद" है उस का क़द बहुत छोटा है और उसके हाथ में बहुत बड़ा कोड़ा (चाबुक) है जब वोह कोड़ा बादल को मारता है उस की मार से आग़ झड़ती है उस आग़ का नाम बिजली है ।

**मरअला 7—** अगर मुक्तदी ईमामा बान्धे हों और इमाम के सर पर ईमामा न हो तो नमाज़ दुरुस्त होगी या नहीं ?

**जवाब :** नमाज़ बगैर किसी वजह के दुरुस्त होगी ।

**मरअला 8—** एक शख्स तन्हा नमाज़ पढ़ता है अगर उस को सहू (गलती) हो जाए तो सज्द-ए-सहू एक ही तरफ़ सलाम फेरने से दुरुस्त होगा या दोनों तरफ़ ?

**जवाब :** एक ही तरफ़ फेरे ।

**मरअला 9—** काज़ी को निकाह पढ़ाने का रूपया लेना जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** मर्ज़ी से घर के लोगों से बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती खूशी से पहले से मुक़र्रर कर के ले सकता है ।

**मरअला 10—** कुफ़र (काफ़िर) से सूद और रिशवत लेना मुसलमान को जाइज़ है या नहीं और हिन्दुस्तान दारुल हरब है या दारुल इस्लाम ?

**जवाब :** सूद और रिशवत मुतलकन (बिल्कुल ही) हराम है, हिन्दुस्तान दारुल हरब नहीं दारुल इस्लाम है ।

**मरअला 11—** काफ़िर के साथ मुसलमानों को खाना, खाना जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** मुमानियत है (मना है) ।

**मरअला 12—** हिन्दू के यहाँ की (ख़रीदी हुई) शीरनी पर फ़ातिहा देना जाइज़ है या नहीं और उस के घर का खाना दुरुस्त है या नहीं ?

**जवाब :** बेहतर है के फ़ातिहा के लिए शीरनी मुसलमान के यहाँ की हो और हिन्दू के यहाँ का गोश्त हराम है, बाकी खानों में हर्ज नहीं अगर कोई मना की हुई शई वजह न हो ।

**मरअला 13—** शरअन (शरीअत के मुताबिक) लड़का और लड़की कितनी उम्र में बालिग़ होते हैं ?

**जवाब :** लड़का कम से कम बारह (12) बरस में और लड़की नव (9)

बरस में और ज्यादा से ज्यादा दोनों पन्द्रह (15) बरस में ।

**मरअला 14—** अगर हालते जनाबत (सोहबत के बाद की न पक हालत) में औरत मर जाए तो एक ही गुस्ल काफी होगा या दो ?

**जवाब :** एक ही गुस्ल काफी है अगरचे तीन गुस्ल जमा हो जाएँ मसलन औरत को हैज आया, अभी न नाहाई थी के सोहबत किया । अभी गस्ल न करने पाई के मर गई । एक ही गुस्ल दिया जाएगा ।

**मरअला 15—** औलिया में सब से ज्यादा किस का मरतबा है ?

**जवाब :** हज़रत सिद्दीके अकबर رضي الله تعالى عنہ का ।

**मरअला 16—** मोजे पहनने से जो टखने बन्द हो जाते हैं उस से नमाज़ में तो कोई ख़राबी नहीं आती ?

**जवाब :** नमाज़ में उस से हरगिज़ कोई हर्ज या कराहत (ख़राबी) नहीं ।

**मरअला 17—** बेद की लकड़ी हाथ में रखना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** खूद उसमें हर्ज नहीं मगर पत्ला बेद टेढ़े सर का हिस्सा लम्बा बाएँ हाथ में ले कर हिलाते हुए चलना शैतानों का तरीका है ।

**मरअला 18—** अहले बैत में कौन कौन है ।

**जवाब :** हज़रत बतुलुज्जहय (हज़रत फ़तेमा) की औलादे अहले बैत है फिर हज़रत अली व हज़रत अक़ील व हज़रत अब्बास رضي الله تعالى عنہما की औलादे अहले बैत है । अज़वाजे मुतहरात (हज़ूर صلی الله علیہ وسلم की पाक बीवियाँ) अहले बैत है ।

**मरअला 19—** हज़रत फ़तेमा رضي الله تعالى عنہا की फ़ातिहा का खाना मर्दों को खाना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** चाहिये कोई मुमानियत नहीं (यानी मना नहीं खा सकते हैं) ।

**मरअला 20—** औलिया-ए-किराम की मज़ार पर चादर चढ़ाना जाइज़ है या नहीं

**जवाब :** जाइज़ है ।

**मरअला 21—** खाने के साथ पानी रखना फ़ातिहा के वास्ते दुरुस्त है या नहीं ?

**जवाब :** दुरूस्त है ।

**मरअला 22—** दाढ़ी में ठाटा बान्ध कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं

**जवाब :** मना है के रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ में बालों के रोकने से मना फ़रमाया है ।

**मरअला 23—** ज़रूरत में हराम चीज़ इस्तेमाल में लाना जाइज़ है या नहीं

**जवाब :** अगर भूक या प्यास से मरता हो और कोई हलाल शए (चीज़) पास नहीं और जाने के अगर उस वक़्त कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा, ऐसी सूरत में हराम चीज़ खाना पीना और इस क़द्र जिस से उस वक़्त जान बच जाए जाइज़ है । यूँही अगर सर्दी बहुत सख़्त है और पहनने को हराम कपड़े के सिवा कुछ नहीं और न पहने तो मर जाएगा या नुक़सान पाएगा तो इतनी देर को पहन लेना चाहिये ।

**मरअला 24—** हिन्दू फ़कीर अल्लाह की मन्ज़ील तक पहुँचते हैं या नहीं

**जवाब :** हिन्दू हो या कोई काफ़िर वोह अल्लाह तआला के ग़ज़ब व लअज़त तक पहुँचते हैं जो येह गुमान करे के काफ़िर बग़ैर इस्लाम लाए अल्लाह तक पहुँच सकता वोह ख़ूद काफ़िर है ।

**मरअला 25—** वुजू के पानी से इस्तिन्जा करना दुरूस्त है या नहीं ?

**जवाब :** दुरूस्त है । बेहतर नहीं ।

**मरअला 26—** दुनियावी शए (चीज़) को दीनी शए से निस्बत देना जाइज़ है या नहीं मसलन कोई यूँ कहे के फलों औरत हूर की तरह है ?

**जवाब :** इस तरह की मिसाल में हर्ज नहीं हों जहाँ दीनी शए की बे हुर्मती हो वोह ना जाइज़ है बल्कि कभी कुफ़्र तक पहुँचेगी ।

**मरअला 27—** रबीउल अब्वल के महीने में अगर औरतें मिस्सी, सुर्मा लगाएँ या रंग कर कपड़ा पहने (यानी रंगीन कपड़े पहने) तो कुछ हर्ज होगा या नहीं

**जवाब :** कोई हर्ज नहीं बल्कि अगर सोग (गम) की नियत से छोड़े तो हराम है इसी तरह मोहर्रम शरीफ़ में (यानी सोग की नियत से सुर्मा न लगाएँ या

रंगीन कपड़े न पहने तो हराम है) ।

**मसअला 28—** अगर बीवी का मजहब शौहर के खिलाफ हो तो औलाद हराम होगी या हलाल ?

**जवाब :** अगर उन में से किसी एक की बद मजहबी कुफ़ की हद तक पहुँची हो तो औलाद हरामी होगी वरना (और ऐसा न हो तो) हलाल पैदा हुई (कहलाएगी) ।

**मसअला 29—** शराब पीना खुदा के रास्ते (पर चलने से) रोकता है या नहीं ?

**जवाब :** बेशक जरूर रोकता है, और उसके पीने वाले पर अल्लाह तआला लअनत करता है ।

**मसअला 30—** कमर में पट्टा (Belt) बान्ध कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं ?

**जवाब :** दुरुस्त है मगर दामन इस के नीचे न दब जाए ।

**मसअला 31—** दाढ़ी को वसमा (नील, या काले रंग का खंजाब) या मेहन्दी लगाना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** वसमा लगाना हराम है, मेहन्दी जाइज़ बल्कि सुन्नत है 1-।

**मसअला 32—** नमाज़ फ़ज़्र के बाद और तुलू आफ़ताब होने (सूरज निकलने) से पहले कुरआन शरीफ़ की तिलावत करना जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** बेशक जाइज़ है बल्कि वोह बहुत बेहतर वक़्त है जब तक आफ़ताब तुलू न करे ।

**मसअला 33—** अहले सुन्नत व जमाअत कुरआन शरीफ़ में “जाद” को “दवाद” क्यों पढ़ते हैं और राफ़ज़ी (शिखा) लोग “दवाद” क्यों नहीं पढ़ते ?

**जवाब :** “जाद” “दवाद” दोनों ग़लत है, मख़रज (सही आवाज़ व तलफ़ूज़

1- आज कल कुछ लोग ऐसी मेहन्दी लगाते हैं जिसे लगाने के बाद बाल काले हो जाते हैं, ऐसी मेहन्दी लगाना भी हराम है, मेहन्दी वही लगाई जा सकती है जिससे बाल पीले या लाल हो । इस मुअत्लिक ज्यादा तपसील से जानने के लिए आला हज़रत की किताब **کتاب الفیہ فی حرمة تشوید** पढ़िये जिस का हिन्दी तर्जुमा “खंजाब सवने अज़ाब” के नाम से मन्ज़रे आम पर आ चुका है ।

। फ़तव्व ।

से पढ़ने का तरीका) सिखना और उसका इस्तेमाल करना फर्ज है, राफ़जीयो से जब न निकल सका उन्होंने ने कुरआन मजीद के हुर्फ को जान बुझ कर बदल दिया येह कुफ़्र है ।

**मरअला 34—** तलाक़ कितनी मरतबा देने से औरत निकाह से बाहर हो सकती है ?

**जवाब :** तीन मरतबा तलाक़ हो जाए तो औरत निकाह से ऐसी बाहर हो जाए के बग़ैर हलाला फिर इस से निकाह नहीं कर सकता और तीन मरतबा से कम के लिए कुछ अलफ़ाज़ मुकर्रर है के उन से निकाह जाता रहता है मगर बग़ैर हलाला निकाह फिर कर सकता है और अभी औरत से ख़िलवत (तन्हाई में मिलने) की नौबत नहीं पहुँची हो तो किसी लफ़ज़ से एक ही तलाक़ देने से औरत निकाह से बाहर हो जाती है दोबारा निकाह कर सकता है ।

**मरअला 35—** अगर औरत बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के किसी ग़ैर के घर चली जाए तो उसका निकाह दुरुस्त रहेगा या नहीं ?

**जवाब :** दुरुस्त रहेगा हों औरत गुनाहगार होगी ।

**मरअला 36—** अगर जनाबत (सोहबत के बाद की ना पाकी) की हालत में ग़लती से कोई शख्स नमाज़ पढ़ ले और नमाज़ पढ़ने के बाद उसको याद हुआ के मैं ना पाक था तो अब वोह नमाज़ गुस्ल के बाद दोहराए या नहीं ?

**जवाब :** ज़रूर नहा कर पढ़े ।

**मरअला 37—** मर्द को शौकिया या ज़रूरत से सोने चान्दी की अंगूठी पहन्ना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** सोने की अंगूठी मर्द को बिल्कुल हराम है यूँही चान्दी का छल्ला, यूँही चान्दी की दो या ज़्यादा अंगूठियाँ, यूँही एक अंगूठी (अगरचे चान्दी की हो) जिस में कई नग हो, (हराम है) सिर्फ़ एक नग की चान्दी की अंगूठी जो साढ़े चार माशे से कम की हो शौकिया या मोहर (Stamp) वग़ैरा की ज़रूरत से मर्द को जाइज़ है ।

**मरअला 38—** एक शख्स नमाज़ पढ़ता है अगर उसके सामने से दूसरा शख्स निकल जाए तो वोह शख्स कितने फ़ासले पर निकल जाने से गुनाहगार न होगा ?

**जवाब :** मकान या छोटी मस्जिद में क़िबले की दीवार तक बग़ैर आड़ के निकलना हराम है और जंगल या बड़ी मस्जिद में तीन गज़ (तकरीबन 9 फीट) के फासले के बाद निकलना जाइज़ है 47, 48, गज़ पैमाईश की जो मस्जिद हो वोह बड़ी मस्जिद है ।

**मसअला 39—** अगर बिल्ली या कुत्ता बग़ैरा आदमी की चीज़ों का नुक़सान करते हो या काट खाते हो तो उनका मार डालना दुरुस्त है या नहां ?

**जवाब :** काटते हो तो क़त्ल दुरुस्त है ।

**मसअला 40—** हज़रत फ़ातेमा (رضی اللہ عنہا) की फ़ातिहा ढ़क़ कर देना चाहिये या खोल कर ?

**जवाब :** दोनों तरह दुरुस्त है ।

**मसअला 41—** हिन्दू क़साब के हाथ का गोश्त खाना जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** हराम है मगर उस सूत में के मुसलमान ने ज़ब्ह किया और मुसलमान की निगाह से गाएब होने से पहले उस मुसलमान या दूसरे (मुसलमान) ने उससे ले लिया तो जाइज़ है ।

**मसअला 42—** नमाज़ में सुन्नत तर्क करने (छोड़ने) से सज्दा-ए-सहू होगा या नहीं ?

**जवाब :** सज्दा-ए-सहू सिर्फ़ वाजिब के छोड़ने से है सुन्नत से नहीं, हॉ नमाज़ मकरूह होगी और फेरना बेहतर और बग़ैर किसी शर्ई मजबूरी के सुन्नत छोड़ने की आदत करेगा तो गुनाहगार होगा ।

**मसअला 43—** उन पाँच रोज़ों में जो रोज़ा रखना मना है यनी एक ख़ास ईदुल फ़ित्र (रमज़ान ईद) और चार रोज़ ईदुज्जोह (बकरा ईद) के तो इस की क्या वजह है ?

**जवाब :** येह दिन अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की तरफ़ से बन्दों की दावत के है ।

**मसअला 44—** इस में क्या हिक्मत है के फ़र्ज़ों में दो रक्अत ख़ाली (अलहम्द के बाद बग़ैर किसी सूए मिलाए) और दो रक्अत भरी (यानी अलहम्द के बाद कोई एक सूरे के साथ) पढ़ी जाती है और सुन्नत और नफ़िल में चारों भरी (यानी

अलहम्द के बाद सरे मिला कर) ?

**जवाब :** नमाज़ में सिर्फ़ दो ही रकअतों में तिलावत कुरआन मजोद ज़रूरी है सुन्नत व नफ़िल की हर दो रकअत अलग है लिहाज़ा हर दो रकअत में किर्जत ज़रूरी हो कर चारों भरी हो गई ।

**मरअला 45—** हुक्का पीना, अफ़यून खाना या कोई दूसरी नशे वाली चीज़ खाना जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** अफ़यून वगैरा कोई नशे की चीज़ खाना पीना बल्किूल हराम है, हुक्का के दम लगाना जिस से होश जाता रहे जैसा के आज कल कुछ जाहिल रमज़ान शरीफ़ में करते हैं हराम है बगैर इस के हुक्का पीना मुबाह (जाइज़) है, हों धुवों बदबूदार हो तो बेहतर नहीं है ।

**मरअला 46—** मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** बदबू की वजह से हराम है अगर ऐसी तरीक़ा करे के उसमें बदबू हरगिज़ न रहे तो जाइज़ है ।

**मरअला 47—** किसी चीज़ की मूरत (तस्वीर) अगर जेब में रखे तो नमाज़ दुरुस्त होगी या नहीं

**जवाब :** नमाज़ दुरुस्त होगी मगर येह काम मकरूह व ना पसंदिदह है जब के कोई ज़रूरत न हो (जैसा कि) रूपया, अशरफी में ज़रूरत है ।

**मरअला 48—** औरत के हाथ का ज़बिहा (जब्ह किया हुआ जानवर) जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** मुसलमान औरत के हाथ का ज़बिहा (जब्ह किया गया जानवर) जाइज़ है जबकि वोह जब्ह करना जानती हो और ठीक से जब्ह करे ।

**मरअला 49—** वहाबी (न्माज़ में) अलहम्द शरीफ़ के बाद आमीन जोर से क्यों पढ़ते हैं ?

**जवाब :** उन का मक़सद सिर्फ़ मुसलमानों की मुख़लेफ़त ज़ाहिर कर के अपना एक गिरोह अलग कायम करना है ।

**मरअला 50—** छुरी, चाकू के अलावा किसी दूसरे औज़ार से जब्ह

करना जाइज है या नहीं ?

**जवाब :** जाइज है जब कि वोह धारदार तेज हो और जानवर को ज्यादा तकलीफ न पहुँचे ।

**मसअला 51—** जैद ने कुछ रुपये कर्ज तिजारत (व्यपार) वासते उम्र को दिये और आपस में येह ठहरा लिया कि कर्ज के रूपयों के अलावा जिस कद्र मुनाफा तिजारत में हो उस में से आधा हमारा और आधा तुम्हारा, तो येह सूद हुआ या नहीं ?

**जवाब :** येह सूद हुआ और यकीनन हराम है अगर रुपये उसे कर्ज न दे बल्कि तिजारत के वास्ते दे के रूपया मेरा और मेहनत तेरी और मुनाफा आधा, आधा तो येह जाइज है ।

**मसअला 52—** अकीके और कुबानी (के जानवार) की हड्डी टोडना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** कोई हर्ज नहीं और अकीके में न टोड़े तो ज्यादा अच्छा है ।

**मसअला 53—** जिस शख्स ने सुबह की नमाज न पढ़ी हो तो उसकी जुम्अ और ईद की नमाज अदा होगी या नहीं ?

**जवाब :** ईद की तो हो जाएगी और जुम्अ की भी अगर तरतीब से न पढ़ने वाला हो यानी उस के जिम्मे पाँच नमाजों से ज्यादा क़ज़ा जमा हो गई हो अगरचे अदा करते करते अब कम बाकी हो, अगर तरतीब से पढ़ने वाला है तो जब तक सुबह की नमाज न पढ़े जुम्अ न होगा । अगर सुबह की नमाज उसे याद है और वक़्त इतना तंग न हो गया हो के सुबह की पढ़े तो जोहर का वक़्त ही निकल जाए और येह जुम्अ में उम्मीद नहीं ।

**मसअला 54—** औरत को फ़ातिहा देना जाइज है या नहीं ?

**जवाब :** जाइज है ।

**मसअला 55—** लड़के के अकीके का गोश्त लड़के के वालिदेन (माँ, बाप) और दादा, दादी और नाना, नानी को खाना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** सब को (खाना) दुरुस्त है, यही सही है ।

**मरअला 56—** शादी में दफ़ या नवबत (बड़ा ढोल) बजवाना दुरुस्त है या नहीं ?

**जवाब :** दफ़ की इजाज़त है जब के उस में झान्झ न हो और मर्द या ईज़्ज़त दार औरतें न बजाए न खेल कुद (या मौज मस्ती) के तौर पर बजाए बल्कि निकाह के ऐलान की नियत हो ।

**मरअला 57—** अगर औरतें मर्दों को सलाम करे तो किस तरह करे ?

**जवाब :** अपने महारम (जिन से पर्दा करना शरीअत में ज़रूरी नहीं) उन्हें और शौहरो को सलाम करे "अस्सलम अलैकुम" कहें ।

**मरअला 58—** अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में क़सम क्यों याद फ़रमाई

**जवाब :** कुरआने अज़ीम अरब के महावरों पर उतरा है, अरबों की आदत थी के जिस काम का करना मन्ज़ूर होता उसे क़सम खा कर करते जैसा के कुफ़ारे मक्का को हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल मुर्सलीन صلی اللہ علیہ وسلم के सच्चे होने पर पूरा यकीन था आप की पैदाईश से पहले हुज़ूर का नाम ही सादिक (सच्चा) अमीन (अमानत दार) कहा करते और ऐसा सच्चा यकीन के जिस बात को क़सम खा कर ज़िक्र फ़रमाए, ख़मों ख़वों इस पर एतेबार आएगा तो उन पर हुज़्जत तमाम करने के लिए क़सम ज़िक्र फ़रमाई गई ।

**मरअला 59—** काफ़िर को सलाम करना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** हराम है ।

**मरअला 60—** ईहुज़्ज़ोह (बकरा ईद) के रोज़ अकीका जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** जाइज़ है ।

**मरअला 61—** अगर इमाम नमाज़ पढ़ाता हो और वोह किसी सूत में दरमियान में दो एक अलफ़ाज़ छोड़ कर आगे को पढ़े तो नमाज़ होगी या नहीं ?

**जवाब :** अगर उन के छुटने से मअनी न बिगड़े तो नमाज़ हो गई वरना नहीं ।

**मरअला 62—** मच्छली और टिड़ड़ी (एक किस्म का पर वाला किड़ा) ज़ब्ह क्यों नहीं की जाती ?

**जवाब :** ज़ह करने से खून निकालना मक़सद होता है और मच्छली व टिड़ड़ी में (बहता हुआ) खून नहीं ।

**मसअला 63—** मर्द मैय्यत के कब्र के तख़ते किस तरफ़ से रखना चाहिये ?

**जवाब :** सर की तरफ़ से मुनासिब है ।

**मसअला 64—** क्या कुरआन शरीफ़ में दाढ़ी रखने या न रखने का हुक़म है, अगर है तो किस जगह है अगर नहीं है तो हदीस शरीफ़ में किस जगह से सुबूत लिया गया है ?

**जवाब :** **احفظوا الشوارب** --- फ़रमाते हैं --- **رسول الله صلى الله عليه وسلم** मूछे बारीक करो और दाढ़ियाँ बड़ाओ आतिश परस्तों (आग को पूजने वालों) के खिलाफ़ करो । फ़कीर ने अपने रिसाले (किताब) **لمعة الضمّي في اعفاء المرمّ** में पाँच आयतों और चालीस से ज़्यादा हदीसों से दाढ़ी रखने का सुबूत दिया है ।

**मसअला 65—** नमाज़ी लोग मस्जिदों के दूरों (मस्जिद के बीच में मिम्बर की सीध में) और इमाम साहब के बराबर खड़े हो जाते हैं क्या उन की नमाज़ होती है या नहीं अगर नहीं होती है तो नमाज़ दोहराना चाहिये या नहीं ?

**जवाब :** मुक़तदियों को दूरों (मस्जिद के बीच में मिम्बर की सीध में) खड़े होना मना है, मगर नमाज़ हो जाएगी गुनाहगार होंगे, इमाम के बराबर दो मुक़तदी खड़े हो जाएँ तो नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही है यानी बेहतर नहीं और दो से ज़्यादा बराबर खड़े हो जाएँ तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी, उस का फेरना वाजिब है । और इस की तफ़सील हमारे फ़तवे में है ।

**मसअला 66—** कुर्बानी सेहतमन्द बैल, भैस की जाइज़ है या नहीं, ज़ैद कहता है हमारे शहर या गाँव या कस्बे में बैल की कुर्बानी नहीं की जाती है और जो नहीं की जाती वोह मकरूह के बराबर है ऐसे शख्स के कहने में कुछ ईमान में तो नुक़सान नहीं अगर भैसे की दो बरस या उस से ज़्यादा उम्र के जानवार की कुर्बानी की जाए (और) महल्ले वाले उस को बुरा समझ कर न लें तो गुनाहगार होंगे या नहीं ? शहर बरेली में बैल की कुर्बानी होती है या नहीं उम्र (एक शख्स) कहता है के मैं अस्सी बरस से देखता हूँ के बरेली में बैल की कुर्बानी नहीं होती उस का कहना ग़लत है या सही ?

**जवाब :** बैल, भैसा की कुर्बानी बेराक जाइज है उसमें हरगिज कोई ना पसंदिगी नही, जैद की कहना ग़लत है, मगर उसके कहने से ईमान में कुछ फर्क नही आता, आलमगीरी में है **يكون من الاجناس الثلاثة الغنم والابل** البقرويد محل في كل جنس نوعه والذكر والانثى معه والجاموش نوع من البقر، महल्ले वाले अगर भैसे का गोश्त के सख्त होता है पसंद न करे इस वजह से न लिया तो बुरा किया के मुसलमान की दिल शिकनी की, और रसूलुल्लाह **صلى الله تعالى عليه وسلم** फरमाते है **لا تحرقن معروف** और अगर इस ख्याल से लिया के वोह भैसे की कुर्बानी ना जाइज जानते है तो सख्त जहातल में है उन्हें शरीअत का हुकम बताया जाए । बैल की कुर्बानी लोग इस ख्याल से नही करते के वोह गाये से ज्यादा कीमती होता है और गाये का गोश्त भी बैल से बेहतर होता है इसी वासते शरीअत में भी गाये की कुर्बानी बैल से अफज़ल है जबकि कीमत में बराबर हो, **“अलमगीरी”** में है-- **الانثى من البقر افضل من الذكر اذا استويا** **الحمد لله الا اننى اطيب كذا فى فتاوى قاضيه عالى** -

**मरअला 67—** तअज़ीया बनाना सुन्नत है जिस का येह अकीदह हो या कुरआन शरीफ की किसी आयत या हदीस से सुबूत पकड़े ऐसा शाख्स ओलमा-ए-अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक इस्लाम से खारिज तो न समझा जाएगा ? उसे काफ़िर समझना जाइज है या नही और येह (तअज़ीया) कैसे शुरू हुआ, अगर (तअज़ीया) सामने आ जाए तो नफ़रत या तअज़ीम से देखना चाहिये या नही

**जवाब :** वोह जाहिल, ख़तावार मुजरिम है मगर काफ़िर न कहेंगे । तअज़ीया आता देख कर हट जाए उसकी जानिब देखना ही नही चाहिये । सुना जाता है के तअज़ीये की इत्तेदा (शुरूवात) अमीर तैमूर बादशाह दहली के वक़्त से हुई ।

**मरअला 68—** हज़रत सकीना बिनत इमाम हुसैन **رضي الله تعالى عنه** का निकाह मुसैब बिन जुबैर और उन के बाद किस किस के साथ हुआ ?

**जवाब :** बहुत निकाह हुए जिन की तफ़सील “नूरूल अबसार” वगैरा किताबों में है ।

**मरअला 69—** क्या मस्नवी शरीफ में कोई शेर ऐसा है जिस से मालूम हो के तीन दिन तक हुज़ूर सरखरे काएनात **سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की लाश बगैर

तजहिज व तक्फोन (कफ़न, दफ़न) के रखी रही, जिस का येह अकीदह हो उस को काफ़िर समझे या मुसलमान ?

**जवाब :** येह महेज झूट है मस्नवी शरीफ़ में ऐसा कोई शेर नहीं येह ना पाक ख़्याल राफ़ज़ियों (शिआयों) का है ऐसा शख्स बे दीन है मगर काफ़िर न कहेंगे हों हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم की तौहीन शाने करीम के लिए ऐसा बकता है तो काफ़िर मुरतद (दीने इस्लाम से निकला हुआ) है ।

**मस्अला 70—** मोहर्रम शरीफ़ में मरसिया ख़्वानी में शिरकत जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** ना जाइज़ है के वोह ख़िलाफ़े शरीअत व झुटी बातों से भरे होते है

**मस्अला 71—** मुसलमानों को खुदा का दीदार नसीब होगा या नहीं जिस का येह एतेकाद (अकीदह) हो उस को क्या कहें ?

**जवाब :** अहले सुन्नत का एतेकाद है के बेशक अल्लाह सुबहानहु तआला मुसलमानों को अपना दीदारे करीम आख़िरत में नसीब फ़रमाएगा इस का इन्कार करने वाला गुमराह बद दीन है ।

**मस्अला 72—** जैद मुक्तदी है, बकर इमाम, मगरिब की नमाज़ हो रही है दरमियानी क़एदे में बकर ने अत्तहीयात पढ़ कर अल्लाहो अक़बर कहा और खड़ा हो गया मगर जैद ने अभी पूरी अत्तहीयात नहीं पढ़ी है अब जैद को अत्तहीयात पूरी कर के खड़ा होना चाहिये, दूसरी सूरात में अगर जैद अत्तहीयात पूरी कर के खड़ा हुआ तो इमाम की इत्तिबा (पैरवी) से बाहर हुआ या नहीं, और उस पर कुछ इलज़ाम है या नहीं और उस की नमाज़ हुई या नहीं ?

**जवाब :** इस मस्अले में जैद पर वाजिब है के अत्तहीयात पूरी ही कर के उठे उसी में इमाम का इत्तिबा (पैरवी) है अगर उसके ख़िलाफ़ करेगा और बग़ैर अत्तहीयात पूरी किये इमाम के साथ खड़ा हो जाएगा तो, इमाम की इत्तिबा से बाहर होगा और गुनाहगार होगा और नमाज़ अधूरी होगी इमाम ने तो अत्तहीयात पूरी पढ़ी और येह कम पढ़े तो इत्तिबा कहाँ हुआ, क़ियाम उसमें इत्तिबा हो जाएँगा अगरचे देर से हो के इत्तिबा में येह भी दाख़िल है के इमाम के फ़ेल (अरकान) के बाद उस का फ़ेल हो यहाँ तक के अगर कोई शख्स

अत्तहीयात में आ कर शरीक हुआ और यह बैठा ही था के इमाम खड़ा हो गया तो उसे वाजिब है के पूरी अत्तहीयात पढ़ कर खड़ा हो अगरचे इमाम इतनी देर में तीसरी रक्अत का कियाम खत्म कर के रूकू में चला जाए यह अत्तहीयात पूरी करके खड़ा हो और एक बार तस्बीह पढ़ने को जितनी देर लगती है उतनी देर कर के रूकू सुजुद में सलाम तक कही जा मिले और फर्ज कीजिये कही न मिल सके तो हर्ज नहीं इमाम के फ़ैल के बाद उसका हर फ़ैल होता रहे ।

**मरअला 73—** ज़ैद सुबह को ऐसे तंग वक़्त में सो कर उठा के सिर्फ़ वुजू करके नमाज़ फ़ज़्र अदा कर सकता है मगर उस को गुस्ल की हाज़त है अब गुस्ल कर के फ़ज़्र अदा करना चाहिये या वक़्त ख़त्म हो जाने के ख़्याल से गुस्ल का तय्यमुम कर के और वुजू कर के नमाज़ फ़ज़्र अदा करे और फिर उस के बाद गुस्ल कर के नमाज़ फ़ज़्र फिर से पढ़े ?

**जवाब :** तय्यमुम कर के नमाज़ वक़्त में (घर पर ही) पढ़ ले फिर बाद में नहा कर उसी नमाज़ को दो बारा पढ़े ।

**मरअला 74—** कम्री महीने (चाँद के महीने) कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात में होते हैं और हिन्दी महीने क्यों हमेशा एक ही मौसम में होते हैं ?

**जवाब :** मौसमों की तबदीली अल्लाह ख़ालिक **عَزَّوَجَلَّ** ने सूरज के घुमने पर रखी है-----सूरज का एक दौरा तकरीबन 365 दिन और पौने छे घनटे में के पाँच दिन के करीब हुआ पूरा होता है और अरबी शरई महीने चाँद से है के हेलाल (चाँद रात) से शुरू और 30 या 29 दिन में ख़त्म होते हैं और यह बारह महीने यानी चाँद के साल 354 या 355 का होता है तो सूरज के साल से दस या ग्यारह दिन छोटा है समझने के लिए इसे छोड़ कर सूरज के साल 365 और चाँद के साल 355 ही रखिये तो दस दिन का फ़र्क़ हुआ अब फ़र्ज कीजिये के किसी साल पहली रमज़ान शरीफ़ 1 जनवारी को हुई तो आने वाले साल 22 दिसम्बर को 1 रमज़ान होगी के चाँद के बारह महीने 355 दिन में ख़त्म हो जाएँगे और सूरज के साल पूरा होने को अभी दस दिन और बाकी है फिर तीसरे साल 1 रमज़ान, 12 दिसम्बर को होगी, चौथे साल 1 दिसम्बर को होगी तीन बरस में एक महीना बदलेगा और रमज़ानुल मुबारक हर सूरज के महीने में दौरा फ़रमाएगा ।

बिल्कुल यही हालत हिन्दी महीनों की होती है अगर वोह लवन्द (यानी ऐसा महीना जो तीसरे साल सूरज के महीनों के हिसाब से बढ़ाया जाए) न लेते । उन्हो ने साल रखा सूरज से और महीने लिए चांद के तो हर बरस दस दिन घट घट कर तीन बरस बाद एक महीना घट गया लिहाजा हर तीन साल पर वोह एक महीना बढ़ा कर लेते है ताकि सूरज के साल से बराबरी हो जाए वरना कभी जेठ जाडों में आता और पूस गर्मीयों में होता । बल्कि ईसाईयों ने साल व महीने सब सूरज के लिए अगर हर चौथे साल एक दिन बढ़ा कर फरवरी 29 दिन का न करते उनको भी यही सूत पेश आती के कभी जून का महीना जाडों में होता और दिसम्बर गर्मीयों में यूँ के साल 365 दिन का लिया और सूरज का दौरा अभी चन्द घन्टे बाद पूरा होगा के जिस की मिकदार तकरीबन 12 घन्टे तो पहले साल सूरज के साल सूरज के दौर से 6 घन्टे पहले खतम हुआ दूसरे साल 12 घन्टे पहले तीसरे साल 18 घन्टे चौथे साल तकरीबन 24 घन्टे और 24 और घन्टे का एक दिन रात होता लिहाजा हर चौथे साल एक दिन बढ़ दिया के सूरज की गरदिश से बराबरी रहे लेकिन सूरज का दौरा पूरे 6 घन्टे ज्यादा न था बल्कि तकरीबन पौने छे घन्टे तो चौथे साल पूरे 24 घन्टे का फर्क न पड़ा बल्कि तकरीबन 23 घन्टे का और बढ़ा लिया एक दिन के 24 घन्टे है तो यूँ हर चार साल में सूरज का साल सूरज के दौर से कुछ कम एक घन्टा बढ़ेगा 100 बरस बाद तकरीबन एक दिन बढ़ जाएगा लिहाजा सदी पर एक दिन घटा कर फिर फरवरी 28 दिन का कर लिया इसी तरह बहुत सा हिसाब है ।

**मसअला 75—** औरतों को जेवरात पहने के शरीअत के मुताबिक क्या हुक्म है ?

**जवाब :** औरतों को सोने चान्दी के जेवर पहना जाइज है । अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है--- **وَمِنْ يَشَاءُ فِي الْحُلِيِّ** رسولुल्लाह **سَلَّمَ** **الذَّهَبَ وَالْحَبْلَ لَا تَأْتِي وَحَوَارِطُ ذُكُورِهَا** , फरमाते है--- "यानी सोना रेशम मेरी उम्मत की औरतों को हलाल और मर्दों पर हराम है" (रिवायत किया इसे अबू बकर इब्ने शीबा ने हजरत जैद बिन अरकम से और तबरीनी ने अपनी कबीर में) बल्कि औरत का अपने शौहर के लिए गहेना पहना, बनाओ सिंगार करना, अजीम अज्र व सवाब का जरिया है और उनके हक में नफिल

नमाज़ से अफ़ज़ल है, बाज़ नेक औरतों के वोह खूद और उनके शौहर दोनों औलिया-ए-किराम से थे हर रात बाद नमाज़े ईशा पूरा सिंगार कर के दुल्हन बन कर अपने शौहर के पास आती अगर उन्हें अपनी हाजत की तरफ़ पाती वही हाज़िर रहती वरना ज़ेवर व (वोह खूब सूत) लिबास उतार कर मुसल्ले बिछाती और नमाज़ में मशगूल हो जाती । और दुल्हन को सजाना तो बहुत पुरानी सुन्नत है और बहुत सी हदीसों से साबित है बल्कि कँवारी लड़कियों को ज़ेवर व लिबास से सजाए रखना के उन की मंगिनियों आएँ येह भी सुन्नत है (लेकिन इस का येह मतलब नही के सज धज कर सड़को, बाज़ारों, और सेनिमा घरों में लड़कियों को बे पर्दा खुले आम घूमने फिरने दिया जाए, येह शरीअत में जाइज़ नही । क़रूक ।) रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं--- "لو كان اسمك تجارية نكوتك وحليتك حتى الفقة"

बल्कि औरत का हैसियत होने के बावजूद बग़ैर ज़ेवर के रहना मकरूह है के मर्दों की नक़ल है । हदीस में है "كان رسول الله يكره لقطع النساء وشبههن بالرجال"

"قال اراد لقطع النساء بالامور وهي من لالحل" -- "مجموعه لبيهار"

عليها ولا خضاب والام والراء يتعاقبان -

हदीस में है रसूलुल्लाह ﷺ ने मौला अली عليه السلام से फ़रमाया--- "يا علي من نساءك لا تقصين عطاء" "अए अली अपनी घर की औरतों को हुक्म दो के बे गहने नमाज़ न पढ़ें" اور ذوالनूर ابن اثیر فی النهایة

हज़रत आएशा सिद्दीका رضی اللہ عنہا औरत का बग़ैर ज़ेवर पहने नमाज़ पढ़ना मकरूह जानती और फ़रमाती---- "और कुछ न हो तो एक डोरा ही गले में बान्ध ले" । "مجموعه لبيهار" में है--- "عن عائشة رضي الله عنها كرهت ان تقص المرأة عطاء ولو ان تعلق في عنقها عيطا"

बजने वाला ज़ेवर औरत के लिए उस हालत में जाइज़ है के ना मेहरम (जिन से पर्दा करना शरीअत में ज़रूरी है) मसलन ख़ाला, मामू, चचा, फूफी, वग़ैरा के बेटों, जेठ, देवर, बहेनवाई के सामने न आती हो न उस के ज़ेवर की इनकार ना मेहरम तक पहुँचे । अल्लाह عز وجل फ़रमाता है---- "ولا يبدین زینتھن" "ولا یضربن بارجلھن لیودیا یحقیقن من زینتھن" औरतें अपना सिंगार शौहर या मेहरम के सिवा किसी पर ज़ाहिर न करें । और फ़रमाता है---- "औरतें पावें दहमक कर न रखें के उनका छुपा हुआ सिंगार ज़ाहिर हो ।

भागाने) के लिए अज़ान देना दुरुस्त है या नहीं ?

**जवाब :** दुरुस्त है । फकीर ने खास इस मसाले में रिसाला **“نسيم البيا”** लिखा ।  
**“في ان الاذان يحول الوبا”**

**मसअला 77—** अज़ान बारिश के वासते देना दुरुस्त है या नहीं ?

**जवाब :** दुरुस्त है । **“اولا حظ من الشرع”** अज़ान ज़िक्रे इलाही है और बारिश रहमते इलाही और ज़िक्रे इलाही रहमत के नाज़िल होने का सबब है ।

**मसअला 78—** हाथी पर सवार होने की हालत में हाथी ने सून्ड उठा कर फंकारा और उस की नाक या हलक के पानी की छीटे कपड़ों पर पड़ी ऐसी सूरत में कपड़े पाक रहे या नहीं ?

**जवाब :** अगर रूप्या भर से ज्यादा जगह में पड़े कपड़े ना पाक हो गये ।

**मसअला 79—** हाथी पर सवार होना जाइज़ है या ना जइज़ दूसरी सूरत में मकरूह है या हराम ?

**जवाब :** हाथी पर सवार होना मकरूह है और इमाम मुहम्मद के नजदीक हराम के वोह उसे खीन्जीर की तरह खास नजिस जानते है । बहेर हाल बचना चाहिये ।

**मसअला 80—** हौज़ दह दरदह से मुराद दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा है या कुछ और, क्या उस हौज़ की गहराई भी शरीअत में मुकरर है या नहीं ?

**जवाब :** वोह दह दरदह से मुराद सौ हाथ का फासला है मसलन दस, दस हाथ लम्बाई व चौड़ाई या पचास हाथ लम्बाई चार हाथ चौड़ाई, या पचास हाथ लम्बाई दो हाथ चौड़ाई और गहराई इतनी (होना) चाहिये के चिल्लू लेने से ज़मीन न खुले ।

**मसअला 81—** उस्तने हिनाना यानी वोह सुखे दरख्त का तना जिस से हुज़ूर पुरनूर **ﷺ** तकीया लगा कर वअज़ फरमाया करते थे और जिस का किस्सा हज़रत मौलाना रूम **رحمته الله عليه** ने “मस्नवी शरीफ” में तहरीर फरमाया है क्या उसको हुज़ूर ने दफ़्न किया और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी ?

**जवाब :** नमाज़े जनाज़ा पढ़ना ग़लत है और मिम्बर शरीफ के नीचे दफ़्न करना एक रिवायत में आया है ।

**मसअला 82—**

एक वाइज़ (तक़ीर करने वाले) साहब ने बयान किया के एक मरतबा रसूले करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने हज़रत जिब्रील علیہ السلام से दरयाफ़्त किया के तुम वही कहाँ से लाते हो और किस तरह लाते हो, आप ने जवाब में अर्ज़ किया के एक पर्दे से आवाज़ आती है, हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया के कभी तुम ने पर्दा उठा कर देखा ? उन्होंने जवाब दिया के मेरी येह मजाल नहीं के पर्दा उठा सकूँ, आप ने फ़रमाया अब के पर्दा उठा कर देखना, जिब्रील علیہ السلام ने ऐसा ही किया क्या देखते हैं के पर्दे के अन्दर ख़ूद हुज़ूर पुर नूर जलवा फ़रमा है और ईमामा सर पर बान्धे हैं और सामने शीशा रखा है और फ़रमा रहे हैं के मेरे बन्दे को येह हिदायत करना । येह रिवायत कहाँ तक सही है अगर ग़लत है तो इस का बयान करने वाला किस हुक्म के तहेत में दाख़िल है ?

**जवाब :** येह रिवायत महेज़ झूट और बक्वास व तोहमत है और उसका यूँ बयान करने वाला इब्लीस का मसख़रह है और उस के जाहिरी मज़मून का मानने वाला तो साफ़ खुला काफ़िर है ।

**मसअला 83—**

जैद (एक शख्स) हिन्दूओं के फ़कीरों (जिन को सन्न्यासी कहते हैं) की शकल बनाए रहता है नंगे सर नंगे पावें एक हाथ में लुटियाँ, रंगा हुआ कपड़ा ओढ़े रहता है एक मुसलमान से मुसाफ़ा किया तो एक हाथ बढ़ाया उस ने कहा दूसरा हाथ भी लाओ तो कहा दूसरा हाथ मेरा हिन्दू है, इसी जैद के पास एक हिन्दू अपने लड़के को लाया के इसे चेंला बनालो जैद ने उस लड़के को ओम (ॐ) कहला कर अपना चेला बना लिया बावजूद इन बातों के येह जैद पीरे तरीक़त बना है मुसलमानों को मुरीद करता है और कहता है के मैं ने हदीस की सनद देव बन्द से हासिल की है येह अपने आप को बकर का ख़लीफ़ा कहता है, बकर यहाँ के मुसलमानों का पीर था ?

**जवाब :** जो बातें मसअले बयान की गई उस के मुताबिक़ वोह शख्स अपने इक़्रार से आधा हिन्दू है और इस्लाम व कुफ़्र में हिस्से नहीं जो एक हिस्सा हिन्दू है वोह पूरा हिन्दू है तो वोह यकीनन उसका इक़्रारी कुफ़्र है और अपने कुफ़्र का इक़्रार यकीनन अल्लाह के नज़दीक भी काफ़िर है । “फुसूले एमामी” व फ़तावे “आलमगीरी” में है—**قال انا محمد يكفرو لوقال ما علق**

-**المكر لا يعذر بهمدا**- और उस को ओम (مَدَّ) कहला कर चेला बनाना उस के कुफ़्र पर रजिस्ट्री है और देव बन्द को सनद से सनद लना उसके कुफ़्र का तीसरा सुबूत है, काफ़िरो की तरह हुलिया बनाए फिरना ही उसके हाल की ख़्बासत को काफ़ी था, रसूलुल्लाह **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** फरमाते हैं--- **مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** (जो जिस कौम की नक़ल करे वोह उन्ही में से है) उन कुफ़्रो ने वज़ाहत कर दी। उस के हाथ पर बैत हराम बल्कि उस के कुफ़्रो को जानने के बाद फिर उसे पीर बनाना या ख़बर होने के बाद पीर समझते रहना ख़ूद कुफ़्र है।

**मसअला 84-** बकर का इन्तेक़ाल हो गया येह बकर पीरी मुरीदी करता था, ख़ानदाने कादरिया में कोई साहब कुतबुद्दीन का ख़लीफ़ा था, और ख़ानदाने चुस्तिया में (मौलवी) कासिम नानुतवी का, अपने मुरीदों को दोनों शिजरे देता था, उग्र जिसकी गवाही शरीअत मुतहरह में मक़बूल है कहता है के बकर का येह वाक़ेअ मेरे सामने गुज़रा के एक शख़्स ने बकर से कहा के बरेली के ओलमा देव बन्द वालों को वहाबी कहते हैं बकर ने गुस्से में आ कर फौरन कहा के जो शख़्स देव बन्द वालों को वहाबी कहे ख़ूद वहाबी है, बकर के ख़लीफ़ा से येह भी मालूम हुआ के बकर ने देव बन्द में हदीस की सनद हासिल की है अब बकर के मुरीदों को बकर से बैत टोड़ना ज़रूरी है या नहीं ? ज़रा तफ़सील से बयान फ़रमा दीजिये, मौला तअ़ाला आप हज़राते ओलमा-ए-किराम के वक्ताओं में बरकत अता फ़रमाए।

**जवाब :** मौला **عَنْ رَسُولِ** मुसलमानों पर अपनी रहमत रखे, क्या ओलमा-ए-हरमैन शरीफ़ैन (मक्का के ओलमा-ए-किराम) के अज़ीम व मुफ़स्सल फ़तावा-ए-मुबारेका "हुस्समुल हरमैन अला मुनहरिल कुफ़्रे वल मैन" के बाद किराी और तफ़सील की ज़रूरत है ! उस में (मौलवी कासिम) नानुतवी व देबन्दियों के बारे में साफ़ साफ़ खुला लिखा है के **مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ** जो उन के कुफ़्र में शक़ करे वोह भी काफ़िर है। न के मुसलमान समझना, न के साहिबे इरशाद जानना न के पीर बनाना, तो बकर के मुरीदों को बैत टोड़ना क्या मअने बैत है ही नहीं टोड़ी क्या जाएगी। हों उन पर फ़र्ज़ है के बकर को पीर न समझे वरना येह भी उसी की तरह इस्लाम से ख़ारिज होंगे।  
**مَنْ يَتْلُوهُمْ مِنْكُمْ فَانَا مِنْهُمْ** अल्लाह तअ़ाला फ़रमाता है---

और फरमाता है-----

اِنْكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ

**मसअला 85—** हिन्दह जो बकर की बीवी है वोह इस कद्र माल के ज़ेवरात पहने हुए है जिन पर ज़कात देना फ़र्ज है क्या येह ज़कात बकर पर फ़र्ज है या हिन्दह पर ?

**जवाब :** अगर ज़ेवर जहेज़ का है या बकर ने बनवा कर हिन्दह को मालिक कर दिया है तो ज़कात हिन्दह पर है बकर से कुछ तअल्लुक नहीं और अगर ज़ेवरो का मालिक बकर है हिन्दह को पहने को दिया है तो ज़कात बकर पर है हिन्दह से तअल्लुक नहीं ।

**मसअला 86—** (हिन्दह पर ज़कात फ़र्ज है और) हिन्दह के पास सिवाए उन ज़ेवरात के नक़दी कुछ नहीं बकर उस को हर साल के ख़्तम होने पर ज़कात अदा करने के वासते रूपये इस शरत पर देना चाहता है के वोह येह रूपया अपने निकाह के महेर से वज़ा (कम) करती रहे क्या बकर को इस तरह देना और हिन्दह का इस तरह बकर से लेकर ज़कात अदा करना जाइज़ है या नहीं ?

**जवाब :** इस तरह देना, लेना दोनों जाइज़ है और दोनों के लिए अज़्र हैं ।

**मसअला 87—** अगर बकर बावजूद हैसियत रखने के हिन्दह को ज़कात अदा करने के वासते हिन्दह को रूपया न दे तो बकर पर शरअन कोई इलज़ाम है या नहीं और ऐसी सूरत में हिन्दह को ज़ेवरात में से किसी ज़ेवर को बेच कर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा या नहीं ?

**जवाब :** शौहर पर कुछ इलज़ाम नहीं के औरत की ज़कात अदा करे अगर न देगा उस पर इलज़ाम नहीं औरत जो ज़ेवर की मालिक है जिस पर ज़कात फ़र्ज है उसे लाज़िम है के जहाँ से जाने ज़कात दे अगरचे ज़ेवर ही फ़कीर को दे कर या बेच कर उस की कीमत से (अदा करे) ।

**मसअला 88—** ज़ेवरात मसलन नवंगे, जोशान, टीका, बुधी, पहुँची, वगैरा में (धागे के) डोर पड़े हैं जैसा के आम तौर पर औरतें धागों में पूरो कर पहनती हैं और कुछ ज़ेवरात मसलन आरसी, टीका, नवंगे, वगैरा में नग व शीशे जड़े हैं ऐसी सूरत में ज़ेवरात का वज़न किस तरह किया जाए अगर डोरे व नग वगैरा अलग किये जाते हैं तो ज़ेवरात ख़राब होते हैं क्योंकि कुछ में

जड़ाई मजबूत होती है क्या ज़ेवरात को नग वगैरा के साथ ही वज़न किया जाए और कुल वज़न पर ज़कात दी जाए, या अन्दाज़े से नग व डोरे का वज़न कम कर दिया जाए ?

**जवाब :** ज़कात सिर्फ़ सोने चान्दी पर ही है । लाख, नग, शीशे, डोरे पर नहीं अगर जड़ाओ ज़ेवर में सूने चान्दी का वज़न मालूम हो तो बहुत अच्छा वरना ज़्यादा से ज़्यादा अन्दाज़ लगा ले जिस में यकीन हो के इस से ज़्यादा न होगा, अगर होगा तो कम होगा । और एक तरीका यह भी है के किसी बर्तन में पानी भरे और कौटे (तराजू) के एक पल्ले में ज़ेवर रख कर यह पल्ला उस पानी में रखे इस तरह रखे के बीच में रहे न तो पानी से कुछ हिस्सा बाहर हो न बर्तन की तह तक पहुँच जाए दूसरा पल्ला बर्तन से बाहर हवा में रखें अब उसमें बाट (वज़न) डालें यहाँ तक के कौटा बराबर आ जाए यह वज़न सिर्फ़ चान्दी सोने का होगा, नग, लाख, वगैरा का वज़न उस में न आएँगा, चन्द बार ऐसी चीज़ें जिन का वज़न मालूम हो उस से इम्तीहान कर के देखें अगर जवाब सही आए तो यह तरीका आसान है ।

**मसअला 89—** हिन्दह ज़कात का रूपया अपने शौहर बकर को दे कर यह कहती है के तुम यह रूपया मेरी तरफ़ से मुस्तहिक (ज़कात लेने के इकदार) लोगों को दे दो, बकर उस रूपये को ले कर किसी दूसरे शख्स को देता है के वोह हिन्दह की जानिब से किसी को ज़कात दे दे तो क्या हिन्दह को बकर का वकील बनाना (यानी हिन्दह का ज़कात के रूपये मुस्तहिकों तक पहुँचाने के लिए अपने शौहर को देना) और बकर (हिन्दह के शौहर) का उस के बाद किसी दूसरे को वकील बनाना (यानी किसी और शख्स को ज़कात अदा करने के लिए रूपये देना) जाइज़ होगा ?

**जवाब :** हिन्दह को इख्तियार है के अपनी तरफ़ से ज़कात अदा करने के लिए ज़कात का रूपया अपने शौहर को या जिसे चाहे वकील करे और वकील को इख्तियार है के जिस भरोसे मन्द आदमी को चाहे वकील कर दे ।

**मसअला 90—** किसी फ़कीर को ज़कात का रूपया किस कद्र दिया जा सकता है यानी ज़कात देने वाला जिस कद्र चाहे या उस (फ़कीर) की एक दिन या दो दिन की ज़रूरत के काबिल ?

**जवाब :** फकीर को छप्पन (56) रूपये से कम तक देना चाहिये, साढ़े सात (7½) तोले सोना, साढ़े बावन (52½) तोले चान्दी या पूरे छप्पन रूपये का माल न दे जिस में वोह साहिबे निसाब हो जाए और अगर उस के पास कुछ सोना या चान्दी निसाब से कम हाजत से ज्यादा है तो इतना न दे के उस से मिल कर निसाब हो जाए मसलन वोह दस रूपये का मालिक है तो उसे छय्यलीस (46) रूपये से कम दे हों जो कुछ दिया उस से निसाब के बराबर उसकी हाजत से न बचेगा तो हजारों दे सकता है मसलन उस पर दस हजार रूपये कर्ज है तो उसे दस हजार देने में हर्ज नहीं के वोह इस कदर से भी मालिके निसाब न होगा ।

**मरअला 91—** हिन्दूओं के मेलों जैसे दसेहरह वगैरा में मुसलमान का जाना कैसा है ? क्या मेलों में जाने से (जाने वाले) लोगों की औरतें निकाह से बाहर हो जाती है क्या तिजारत (व्यपार) करने वाले लोगों को भी जाना मना है ?

**जवाब :** उन का मेला देखने के लिए जाना बिल्कुल ना जाइज है । अगर उनका मजहबी मेला है जिस में वोह अपना कुफ़्र व शिर्क करेंगे कुफ़्र की आवाजों से चिल्लाएंगे जब तो ज़ाहिर है और यह सूरत सख़्त हराम, और सवाल में पूछी गई बातें निहायत सख़्त हराम है फिर भी कुफ़्र नहीं अगर कुफ़्री बातों से दूर है, **مَعَاذَ اللَّهِ** (मआज़ल्लाह) उन में से किसी बात को पसंद करे या हलका जाने तो आप ही काफ़िर है इस सूरत में औरत निकाह से निकल जाएगी और येह इस्लाम से वरना फ़ासिक और फ़िस्क (फ़ासिक होने) से निकाह नहीं जाता फिर भी सज़ाए शदीद है और कुफ़्रीयात को तमाशा बनाना गुमराही अलग है हदीस में है **من كثر سوار قوم فهو منهم ومن دسّ عمل قوم كان شريكاً فيهم**— "जो किसी कौम का जथ्था बड़ाए वोह उन्हीं में से है, और जो किसी कौम का कोई कम पसंद करे वोह उस काम करने वालों का शरीक है" ।

**راه البويهي في مستده وعلى بن معبد في كتاب الطاعة والمعيرة عن**  
**عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم** ورواه الامام عبد الله  
**بن المبارك في كتاب الزهد عن ابي نضر رضي الله تعالى عنه**— من قوله وهو  
**عند الخطيب عن النضر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم** مع قوم فهو منهم

और अगर मजहबो मेला नहीं (सिर्फ) खेल कूद का मौज मस्ती का है जब भी बुराईयो और खुराफात से खाली नहीं और बुराईयो का तमाशा बनाना जाइज नहीं।

کبر کل بهو والاملاق شامل لنفس الفعل واستمارة --- है "रहुल मोहतार" में है---  
तहतवी सदरे किताब "बयाने उलूम मेहरमा जिक्रे शुबदह" में है---

یظهر من ذلك حرمة التفریح علیهم لان الفرجة علی المحرم حرام-

"यानी करतब दिखाने वाला, भान मती, बाजीगर, की हरकते हराम है और उस का तमाशा देखना भी हराम, के हराम को तमाशा बनाना हराम है" खास कर काफिरो की किसी शैतनी खुराफात को अच्छा जाना तो बहुत बड़ी आफत है और उस वक्त फिर दो बारा इस्लाम व निकाह का हुक्म किया जाएगा।

التفق مشایخنا ان من لای امر الکفار حسنا --- है "गम्जुल उयून" में है---

فقد كفر حتى قالوا فی رجل قال ترک الكلام عند الک الطعام

حسن من المجوس وترك المضاجعة عند هم حال الحيض حسن فهو -

और अगर तिवारत के लिए जाए तो अगर मेला उनके कुफ़ व शिर्क का है तो जाना ना जाइज व मन्मूअ (मना) है के अब वोह जगह उन के पूजा पाट की जगह है और कुफ़ार की पूजा पाट की जगहों में जाना गुनाह है।

یکرمه للمسلم الذی --- है "हिन्दिया" में है "ततार खनिया" फिर "यतीमिया" फिर

فی البیعة والکینیه وانما یکرمه من حیث ان یجمع الشیاطین -

فاذا حرم الذموم فالصلوة اولی - --- है "रहुल मोहतार" में है बल्कि

और अगर (वोह मेला) खेल कूद मौज मस्ती का है और खूद उस से बचे न उस में शरीक हो न उसे देखे न वोह चीजे बेचे जो उनके खुराफात, मौज मस्ती की हो तो जाइज है फिर भी मुनासिब नहीं, के उनका मजमा है हर वक्त लअनत की जगह तो उस से दूरी ही में खैर है लिहाजा ओलमा ने फरमाया के उनके महल्ले में हो कर निकले तो जल्द लम्बे लम्बे कदम बढ़ाते हुए गुजर जाए। "गुन्यातुज्जव्वीयुल अहकाम" फिर "फतहुल्लाह" फिर

هم عمل نزول اللعنة فی کل وقت ولا شل انه یکرمه --- है "तहतवी" में है

السکون فی جمع کیون کذلک بل وان یمر فی کنتهم لان یمر ذل و یسر و قدرت بک انکار -

अगर खूद शरीक हो या तमाशा देखे या उन के बुरे मजे की चीजे बेचे तो आप ही गुनाह व ना जाइज है। "दुरे मुख्तार" में है ---



ने शहादत पाई अमीरूल मोमेनीन हज़रत फारूक़े अज़ाम رضی اللہ عنہ के दिल में अल्लाह عز وجل ने येह बात डाली (के कुरआन को एक जगह जमा किया जाए) आप ख़लीफ़तुरसूल हज़रत सिद्दीक़े अक़बर رضی اللہ عنہ की बारगाह में हाज़िर हुए और गुज़ारिश की के लड़ाई में बहुत से सहाबा जिन के सीनों में कुरआने अज़ीम था शहीद हुए हैं अगर यूँही जिहादों में कुरआने के हाफ़िज़ सहाबा शहीद होते गये और कुरआने अज़ीम अलग अलग रहा तो बहुत कुरआन जाते रहने का अन्देशा है मेरी राए में हुक़म दीजिये के सब सूरातों को एक जगह जमा कर दिया जाए । ख़ालीफ़तुरसूल हज़रत सिद्दीक़े अक़बर رضی اللہ عنہ ने उनकी इस राए को पसंद फरमाया और हज़रत ज़ैद बिन साबित वगैरा कुरआन के हाफ़िज़ सहाबा رضی اللہ تعالیٰ عنہم इस अज़ीम काम का हुक़म दिया, के (इस तरह) सारा कुरआने अज़ीम एक जगह जमा हो गया हर सूरात अलग एक सहीफ़े (अलग अलग किताब की शक़ल) में थी वोह हज़रत सिद्दीक़े अक़बर رضی اللہ عنہ की हयात तक आप के पास रहे और उनके बाद अमीरूल मोमेनीन सैय्यदना फारूक़े अज़ाम رضی اللہ عنہ और उनके बाद हज़रत उम्मुल मोमेनीन हफ़्सा رضی اللہ عنہا (जो हज़रत फारूक़े अज़ाम की साहबजदी और हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की बीबी थी) उनके पास रहे । अरब की हर कौम व कबीला बाज़ अलफ़ाजों के तलफ़ूज़ में मुख़तलिफ़ था मसलन हुफ़े तअरीफ़ में कोई "अलीफ़ लाम" कहता था कोई "अलीफ़ मीम" इसी किस्म के बहुत फ़र्क़ लहेजा व पढ़ने के अन्दाज़ थे हुज़ूरे अक़दस صلی اللہ علیہ وسلم के ज़ाहिरी ज़माने में कुरआने अज़ीम नया उतरा था और हर कौम व कबीला को अपने पुराने मादरी लहजे का अचानक बदल देना मुश्किल था, आसानी फ़रमाई गई थी के हर अरब कौम अपने अन्दाज़ व लहजे में कुरआने करीम की किर्अत करे नुबुव्वत के ज़माने के बाद मुख़तलिफ़ कौमों से कुछ लोगों के ज़हेन में जम गया के जिस लहजे व लुग़त में हम पढ़ते हैं उसी में कुरआने अज़ीम नाज़िल हुआ है यहाँ तक के अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी رضی اللہ عنہ के ज़माने में कुछ लोगों को इस बात पर जंग व झगडा होने की नौबत पहुँच गई । जब येह ख़बर अमीरूल मोमेनीन को पहुँची फ़रमाया अभी से तुम में येह इख़तेलाफ़ पैदा हुआ तो आगे क्या उम्मीद है लिहाज़ा हज़रत अली मुरतज़ा क़रम اللہ وجہہ व दूसरे ज़लीलुल क़द्द सहाबा-ए-किराम رضی اللہ تعالیٰ عنہم के मशवरे से येह क़रार पाया के वोह कुरआन की अलग

अलग सूरेतें जो ख़लीफ़-ए-रसूल हज़रत सिद्दीक़े अक़बर رضی اللہ عنہ ने लिखवाई थी और हज़रत उम्मुल मोमेनीन बिनत फ़ारूके आज़म رضی اللہ عنہ के पास महफूज़ है मँगा कर उन की नक़लें ले कर तमाम सूरतों एक किताब की शक़ल में जमा करें और वोह कुरआन इस्लामी शहरों में भेज दे के सब इस लहजे की पैरवी करें उसके ख़िलाफ़ अपने अपने दंग के मुताबिक़ जो सूरतों की तरतीब कुछ लोगों ने लिखे हैं फ़िले के ख़त्म करने के लिए ख़त्म कर दिये जाएँ । सब की राए की बिना पर अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी رضی اللہ عنہ ने हज़रत उम्मुल मोमेनीन से कहला भेजा के सिद्दीक़े अक़बर की लिखवाई हुई सूरतों की किताबें भेज दीजिये, हम उनकी नक़लें ले कर शहरों को भेजें और अस्ल आप को वापस देंगे, उम्मुल मोमेनीन ने भेज दिये अमीरूल मोमेनीन हज़रत ऊसमान ने ज़ैद बिन साबित व अब्दुल्लाह बिन जुबैर व सईद बिन आस व अब्दुरहमान बिन हारिस बिन हेशाम رضی اللہ تعالیٰ عنہم को नक़लें करने को हुक्म दिया वोह नक़लें मक्का-ए-मुअज़्ज़मा व मुल्के शाम व यामन व बैहरेन व बसरह कूफ़ा को भेजी गई और एक मदीन-ए-तय्यबा में रही और अस्ल सहीफ़े जिन से येह नक़लें हुई थी हज़रत उम्मुल मोमेनीन हफ़्सा رضی اللہ عنہا को वापस दिये उन की निस्बत दफ़्न करने या किसी तरह ख़त्म करा देने का बयान बिल्कुल झूट है वोह मुबारक सहीफ़े ख़िलाफ़ते ऊसमानी फिर ख़िलाफ़ते अली फिर ख़िलाफ़ते इमाम हसन फिर सलतनते अमीर मअवीया رضی اللہ تعالیٰ عنہم तक वैसे के वैसे महफूज़ थे यहाँ तक के मरवान ने लेकर फाड़ दिये । अस्ल कुरआने अजीम तो अल्लाह रब्बुल ईज़ज़त के हुक्म, हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल असयाद صلی اللہ علیہ وسلم के तरतीब हो चुका था सब सूरतों को एक जगह करना बाकी था वोह अमीरूल मोमेनीन सिद्दीक़े अक़बर رضی اللہ عنہ ने हज़रत फ़ारूके आज़म رضی اللہ عنہ के मशवरे से किया फिर सिद्दीक़े अक़बर के उसी जमा किये कुरआन से हज़रत अमीरूल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी رضی اللہ عنہ ने हज़रत अली क़रम اللہ علیہ के मशवारे से नक़लें उतरवा कर इस्लामी शहरों में फलाएँ और तमाम उम्मत को (हुज़ूर के ख़ान्दान कुरैश) के लहजे पर जमा होने की (यानी उसी अन्दाज़ व तरतीब व लहजे से पढ़ने की) हिदायत फ़रमाई इसी वजह से वोह जनाब "जामेउल कुरआन" (कुरआन को जमा कले वाले) कहलाए वरना हकीक़त में जामेउल कुरआन रब्बुल ईज़ज़त عز وجل है, जैसा के अल्लाह तआला ने फ़रमाया--  
 ان علينا جمعه وقرآنه

और ज़ाहिरी नज़र से देखा जाए तो हुज़ूर सैय्यदुल मुर्सलीन صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ और एक जगह जमा करने के लिहाज़ से सब से पहले जामेउल कुरआन हज़रत सिद्दीके अकबर है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ "इत्कान शरीफ़" में फ़रमाते हैं-----  
 قَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ كُتِبَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  
 لَكِنْ غَيْرُ مَجْمُوعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا مُرْتَبٍ السُّورِ۔

अमीरुल मोमेनीन मौला अली क़रम शरूबिह फ़रमाते हैं-----  
 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ شَاهِبٍ أَنَّ النَّسَبِيَّ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ -----  
 أَنَّ خَدِيفَةَ بْنَ إِيْمَانَ قَدِمَ عَلَى عِثْرِ وَكَانَ يَفَازِي إِلَى الشَّامِ فِي فَيْعٍ أَرْمِينِيَّةٍ وَأَزْرِيحَانَ (अबू)  
 देखो यह हदीस सही बुखारी की साफ़ गवाह इन्साफ़ करने वाली है के अमीरुल मोमेनीन ऊसमाने ग़नी ने लहेजे व पढ़ने के एख़तेलाफ़ सुन कर सहीफ़े सिद्दीकी हज़रत हफ़्सा से मँगाए और उन्हीं की नक़लें बना कर इस्लामी शहरों में भेजे और वोह नक़ल करने के बाद हज़रत उम्मुल मोमेनीन को वापस दे दिये।

**मसअला 94—** क्या उम्मुल मोमेनीन आएशा सिद्दीका رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا के पास कोई खास कुरआन था के जिस से दूसरे कुरआन के नुस्खे दुरुस्त किये गए ?

**जवाब :** उम्मुल मोमेनीन आएशा सिद्दीका رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا के पास कोई खास कुरआन न था बल्कि वोह सिद्दीके अकबर व फारूके आजम رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ का उम्मुल मोमेनीन हज़र हफ़्सा رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا के पास था जिस का हाल उपर गुज़रा।

**मसअला 95—** मस्जिद कानपूर के वासते बाज़ लोगों ने चन्दा जमा किया मगर ख़ाना नहीं किया अब क्या करना चाहिये ? क्या दूसरे अच्छे काम में मसलन मस्जिद या मदर्स वगैरा में खर्च कर सकते हैं या नहीं ?

**जवाब :** जिन जिन से चन्दा लिया है उन की राए व इजाज़त से दूसरे अच्छे कामों में खर्च किया जा सकता है (मगर) बगैर इजाज़त नहीं।

**मसअला 96—** तक्य्या (यानी अपना मज़हब ब़्याने) में क्या क्या बुराई है ?

**जवाब :** तक्य्या की बुराईयाँ क्या मोहताजे बयान है तक्य्या-ए-रवाफ़ज़ عُرُوْكَتِ (शिअयों का तक्य्या) और निफ़ाक़ (कपट, फरेब) एक चीज़ है। अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ फ़रमाता है-----  
 وَازْلِقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْلًا وَآذَنُوا بِمَا ضَلُّوا إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُمْ  
 - تَرْجَمًا :- जब (मुनाफ़िक़) मुसलमानों से

मिले तो कहे हम ईमान लाए है और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहे हम तो तुम्हारे साथ है हम तो (मुसलमानों से) उठ्ठा (हँसी मज़ाक) करते है । रसूलुल्लाह ﷺ फरमाते है --- (११) --- **مَنْ كَانَ لَهُ دُجَانٌ فِي الْحَيَاةِ كَانَ لَهُ** जो दो रूखा होगा कियामत के दिन दो ज़ख की आग की दो ज़बाने उस के मुँह में रखी जाएँगी ।

(रिवायत किया इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम शरीफ ने हज़रत अम्मार यासर رضي الله عنه से सही सन्द के साथ) और हदीस में आया है --- **تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ (لَا أَكْثَرُ مِنْ شَرِّ)** ---

**لَوْ الْيَقِيْمَةُ وَالْوَجِيْهِ النَّزِيْ يَاتِيْ هُوَلَا بِعِدِيْثٍ دِيَاتِيْ هُوَلَا بِعِدِيْثٍ - اِنْ شَرِّ الطَّرِيقَةِ الْحَرِيْمَةِ ذُو الْبَوَاسِ**

जो यहाँ उनकी सी कहे और वहाँ उनकी सी वोह कियामत के दिन उन्हीं में होगा जो तमाम मखलूक़ात से बदतर है । (रिवायत किया इसे बुखारी व मुस्लिम शरीफ व इब्ने अबीयुनिया ने हज़रत अबू हुरैरह رضي الله عنه से सही सुबूत के साथ)

**मरअत्ला 97—** बला को भगाने के वासते जो जानवर ज़बह किया जाए उसकी खाल ज़मीन के नीचे दफ़न करना कैसा है ?

**जवाब :** खाल का दफ़न करना सिर्फ़ ना जाइज़ है, बला को दूर करने के लिए शरीअत ने सदका मुक़र्रर फ़रमाया है खाल भी मिस्कीन (पोहताजों) को दे या किसी अहले सुन्नत के मदर्स में पहुँचा दे ज़मीन में दफ़न कर देना माल की बर्बादी है और माल बर्बाद करना हराम ।

**मरअत्ला 98—** अस्र का वक़्त मुस्तहब कौनसा है जमाअत कितने बजे होना चाहिये ?

**जवाब :** अस्र का वक़्त मुस्तहब हमेशा उसके वक़्त का अधा आख़री हिस्सा है मगर राज़े बदली हो तो ज़लदी की जाए ।

**मरअत्ला 99—** फ़ज़्र की नमाज़ का मुस्तहब (बेहतर) वक़्त कौनसा है और जिस जगह आसमान का किनारा साफ़ नज़र आता हो वहाँ तलू (सूरज के निकलने) और गुरुब (सूरज के डूबने) की क्या पहचान है ?

**जवाब :** फ़ज़्र का मुस्तहब वक़्त उसके वक़्त का आख़री आधा हिस्सा है मसलन अगर आज एक घन्टा 20 मिन्ट की सुबह हो तो उस वक़्त सूरज

निकलने में 40 मिनट बाकी रहे और अफजल यह है कि नमाज ऐसे वक़्त 40 या 60 आयतों से पढ़ी जाए के अगर नमाज़ में कोई ख़राबी साबित हो तो फिर तलू से पहले य़ूही दोहराई जा सके। इस का लिहाज़ रख कर जितनी भी ताख़ीर की जाए अफजल है। जब आसमान का किनारा साफ़ नज़र आता है और बीच में दरख़्त वगैरा कुछ आड नहीं तो तलू यह है के सूरज की पहली किरन चमके और ग़ुरूब यह है कि आख़री किरन निगाह से गाएब हो जाए।

**मसअला 100—** मगरिब की अज़ान और जमाअत कब होना चाहिये और मगरिब का वक़्त कितनी देर तक रहता है।

**जवाब :** (सूरज) ग़ुरूब होने का जिस वक़्त यकीन हो जाए हरगिज़ देर अज़ान व इफ़तार में न की जाए उसकी अज़ान व जमाअत में फ़ासला नहीं। मगरिब का वक़्त मिरठ में कम अज़ कम एक घन्टा और ज़्यादा एक घन्टा 19 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घन्टा 36 मिनट है।

**मसअला 101—** (इकामत में) तक्बीर से पहले कुछ बैठे हो और कुछ खड़े हो तो क्या तक्बीर शुरू होते ही सब को खड़ा होना चाहिये या बैठ जाना चाहिये, अगर बैठे रहे तो किस लफ़्ज़ पर खड़ा होना चाहिये। अगर तक्बीर शुरू होते ही फौरेन खड़े हो जाएँ तो कुछ हर्ज नहीं है ?

**जवाब :** तक्बीर खड़े हो कर सुन्ना मकरूह है यहाँ तक कि "इज़ाह" में फ़रमाया के अगर तक्बीर हो रही है और प्रस्जिद में आया तो बैठ जाए और जब मुकब्बीर (इकामत पढ़ने वाला) **حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ** (हय्य अलल फ़लाह) पर पहुँचे उस वक़्त सब खड़े हो जाएँ।

**मसअला 102—** चार रकअत वाली नमाज़ में इमाम दो रकअत के बाद बैठा और अत्तहीयात के बाद दुरूद शरीफ़ शुरू कर दिया मुक्तदी को मालूम हो गया ऐसी हालत में मुक्तदी इमाम को इशारह कर सकता है या नहीं और अगर कर सकता है तो किस तरह ?

**जवाब :** उस का मालूम होना मुश्किल है के इमाम आहिस्ता पढ़ेगा, हों अगर यह इतना करीब है के उसकी आवाज़ उस ने सुनी के अत्तहीयात के बाद उसने दुरूद शरीफ़ शुरू किया तो जब तक इमाम **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى**

(अल्लाहुम्मा सलले अला) से आगे नहीं बढ़ा है यह **سُبْحَانَ اللَّهِ** (सुबहनल्लाह) कह कर बताए और अंगर **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا -** (अल्लाहुम्मा सलले अला सैय्यदना) या **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ** (अल्लाहुम्मा सलले अला मुहम्मदिन) कह लिया तो अब बताना जाइज नहीं बल्कि इन्तेज़ार करे अगर इमाम को खूद याद आए और खड़े हो जाए तो बहुत खूब और सलाम फेरने लगे तो उस वक़्त बताए उससे पहले बताएंगा तो बताने वाले की नमाज़ जाती रहेगी और उसके बताने को इमाम लेंगा तो उस की और सब की जाएगी ।

**मसअला 103—** क्या फ़रमाते हैं ओलमा-ए-दीन व शरए मतीन इस मसअले में के ज़ैद ने बकर से दस रूपये कर्ज़ के तौर पर माँगे बकर ने ज़ैद को बजाए रूपये के दस का नोट दे दिया उस पर उसने बट्टा दिया और फिर ज़ैद ने रूपया वापस दिया तो वोह पैसे जो बट्टा में लगे हैं सूद हुआ या नहीं ?  
**जवाब :** बट्टा जो बनिये को दिया है वोह कर्ज़ देने वाले के लिए सूद नहीं हो सकता ज़ैद बकर को दस रूपये दे या दस का नोट ।

**मसअला 104—** इमाम ने पहली या दूसरी रकअत में सूरए फ़ातिहा के बाद कोई सूरत शुरू कि मस्लन सूरए रेहमान शरीफ़ के उसकी पहली आयत बहुत छोटी है और पहली ही आयत पढ़ी थी के हदस हो गया (यानी इमाम का वुजू टूट गया) अब जिस शख्स को इमाम ने ख़लीफ़ा बनाया (यानी नमाज़ पढ़ाने के लिए अपनी जगह खड़ा किया) उसको सूरए रेहमान याद नहीं है तो ख़लीफ़ा को अब किस जगह से शुरू करना चाहिये या तीसरी या चौथी रकअत में इमाम का वुजू कियाम या अत्तहीयात की हालत में टूटा अगर इमाम बिल जहेर (यानी बुलन्द आवाज़) से पढ़ रहा था तो ख़लीफ़ा को खूद ही मालूम हो जाएगा अगर आहिस्ता पढ़ रहा था तो किस तरह इशारह करे या बताएँ ?

**जवाब :** ख़लीफ़ा करने के मसाइल में 13 शरते हैं अव्वाम पर उन की पाबन्दी मुश्किल है और फिर भी अफज़ल यही है कि नये सिरे से पढ़े तो अफज़ल को छेड़ का मुश्किल में क्यों पढ़े और अगर ऐसा हो तो जिसे सूरए रेहमान याद नहीं वोह उसके बाद किसी सूरत की कुछ आयतें पढ़ दे और कियाम व अत्तहीयात में हाल मालूम न हो तो फ़ातिहा व अत्तहीयात शुरू से पढ़े ।

**मस्अला 105**

• अगर इमाम रूकू के बाद **سَمِعَ اللَّهُ مِنْ عِبْدِهِ** (समीउल्लाहो लेमन हमोदह) कह कर **اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** (अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द) भी बुलन्द आवाज़ से कहता है तो उस के वासते क्या है दुरुस्त है या नही अगर इमाम **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** (रब्बना लकल हम्द) न कहे बल्कि एक शख्स जो अलग नमाज़ पढ़ रहा है वोह कहता है तो क्या हुक्म है ?

**जवाब :** इमाम को सिर्फ **سَمِعَ اللَّهُ مِنْ عِبْدِهِ** (समीउल्लाह लेमन हमोदह) कहना चाहिये उसका **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** (रब्बाना व लकल हम्द) कहना और वोह भी आवाज़ से सरासर खिलाफ़ सुन्नत है और इमाम के **سَمِعَ اللَّهُ** (समीउल्लाहो लेमन हमोदह) कहने पर उस शख्स ने कि अलग नमाज़ पढ़ता है जवाब के तौर पर **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** (रब्बाना व लकल हम्द) कहा तो उस की नमाज़ जाती रहेगी ।

**मस्अला 106**

मस्जिद के दुरों (बीच) में अगर मुक्तदी बगैर किसी ज़रूरत खड़े हुए तो क्या उन ही मुक्तदीयों की नमाज़ मकरूह होगी या और मुक्तदीयों की भी ?

**जवाब :** सिर्फ़ उन्ही मुक्तदीयों के लिए मकरूह होगी जो बगैर ज़रूरत दुरों (मस्जिद के बीच) में खड़े हुए न और मुक्तदीयों की हों इमाम को चाहिये के उन लोगों को इस से मना कर दे । दुरें मुख्तार में है --- **وَنِيضُ اِنْ يَامُرُ بِهٖ** (१००)

**मस्अला 107**

क्या फ़रमाते है ओलमा-ए-दीन इस मस्अले में के इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो और मुक्तदी बगैर मुसल्ले यानी सिर्फ़ सहेन में खड़ा हो इस सूरत में नमाज़ मकरूह है या नही ?

**जवाब :** नमाज़ में कुछ ख़राबी नही के हदीस व फ़िकह में कही इस को मना नही किया गया न इमाम की तअज़ीम शरीअत में मना है । "बहरूल राइक" में है --- **اَلْمُرَاجَعَةُ لَا يَدْرِي**

अलबत्ता अगर इमाम तकब्बुर के तौर पर ऐसा फ़र्क चाहे तो उसकी येह नियत सख्त गुनाह व हराम व कबीरह है । अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है ---

اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ لَمُثْوٰى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ (الدّٰه) ---

**मस्अला 108**

क्या फ़रमाते है ओलमा-ए- दीन इन मस्अलों में (1)

एक शख्स ने चालीस या पचास हजार के मकानात अपनी ज़रूरत से ज्यादा खर्च कर के किराये की गर्ज से खरीदे क्या इस सूरत में ज़रूरत से ज्यादा मकानात में उनकी कीमत के ऊपर ज़कात फ़र्ज है या जो किराया है उस के ऊपर ? (2) जो मकानात की सजावत व खूबसूरती के लिए ताम्बे पीतल चीनी वगैरा के बरतन खरीद कर मकान सजाता है और कभी वोह बरतन इस्तेमाल में भी आते हैं, इस सूरत में क्या हुक्म है ?

**जवाब :** (1) मकानात पर ज़कात नहीं अगरचे पचास करोड़ के हो किराये से जो साल पूरा होगा उस पर अन्दाज़ हागा उस पर ज़कात आएगी अगर खूद या और से मिल कर निसाब के बराबर हो । (2) बरतन घरों के सामान वगैरा पर ज़कात नहीं अगरचे लाखों रुपये के हो ज़कात सिर्फ़ तीन चीज़ों पर है सोना चान्दी, कैसे ही हो पहनने के हो या बरतन के या रखने के सिक्के हो या पत्तर या वरक, दूसरे चराई पर छूटे जानवर, तीसरे तिजारत का माल, बकी किसी चीज़ पर ज़कात नहीं ।

रज़ा एकेडमी मुंबई की एक

## फ़ख़रिया पेशकश

कंज़ुल ईमान फ़्री तर्जमतिल कुरआन

शाया होकर मंज़रे आम पर आचुका हैं।

हिन्दी लेखन हाजी तौफ़ीक़ रज़वी

पुरुफ़ रीडिंग मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी (बी.ए.)